1103

[2022] 4 एस. सी. आर 1103

ए.

राम चंदर बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य और ए. एन. आर. (लिखित याचिका (सीआरएल)) 2022 का सं. 49)
अप्रैल 22,2022

बी.

[डॉ**.** धनंजय वाई चंद्रचूड़ और अनिरुद्ध बोस**,** जे**.** जे**.]**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:एस. 432-सजा को निलंबित करने या माफ करने की शक्ति-समय से पहले रिहाई के लिए एक दोषी का आवेदन-बिना माफी के 16 साल के कारावास के पूरा होने पर-पीठासीन न्यायाधीश की राय का मूल्य-यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि पीठासीन न्यायाधीश ने माफी देने के कारकों को ध्यान में रखा-21 जुलाई 2021 की अपनी राय में विशेष न्यायाधीश, दुर्ग ने उस अपराध का उल्लेख किया जिसके लिए याची को दोषी ठहराया गया था और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए केवल यह कहा कि माफी देना उचित नहीं होगा-राय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 (2) के प्रावधानों के अनुसार है जिसके लिए आवश्यक है कि पीठासीन न्यायाधीश की राय के साथ कारण भी होने चाहिए-भारत के हल्सबरी कानून (प्रशासनिक कानून)।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

भारत का संविधान, 1950-Art.32-दंड संहिता, 1860-ss.148,149,302 – दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-एसएस।432, 433 ए-छत्तीसगढ़ जेल नियम 1968-नियम 358-समय से पहले रिहाई-सजा की माफी-7 दिसंबर 2010 को, निचली विचारण न्यायालय ने याची और अन्य अभियुक्तों को ए पर हमला करने के लिए दोषी ठहराया।

एच.

1103

शिकायतकर्ता और उसके पिता और भाई की हत्या-याची को आजीवन कारावास की सजा-उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई सजा-याची द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका भी खारिज कर दी गई-इसके बाद, बिना छूट के 16 साल के कारावास के पूरा होने पर, याची ने छत्तीसगढ़ जेल नियम 1968 के नियम 358 के तहत प्रत्यर्थी को समय से पहले रिहा करने के लिए आवेदन किया-जैसा कि यू/एस द्वारा लिया जाना आवश्यक था।433 सी. आर. पी. सी., जेल अधीक्षक ने विशेष न्यायाधीश से राय मांगी कि क्या याची को छूट पर रिहा किया जा सकता है-2 जुलाई 2021 को विशेष न्यायाधीश ने अपनी राय दी-कि मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, याची की शेष सजा को माफ करने की अनुमति देना उचित नहीं होगा-विधि विभाग की राय भी मांगी गई-विधि विभाग ने कहा कि चूंकि सजा सुनाने वाली न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश ने सकारात्मक राय नहीं दी है, इसलिए उन्हें रिहा नहीं किया जा सकता है-पीड़ित महसूस करते हुए, दायर की गई वर्तमान अपील-आयोजितःसी. आर. पी. सी. की धारा 432 (2) के तहत प्रक्रियात्मक सुरक्षा का उद्देश्य विफल हो जाएगा यदि पीठासीन न्यायाधीश की राय केवल एक अन्य कारक बन जाती है जिसे सरकार द्वारा माफी के लिए आवेदन पर निर्णय लेते समय ध्यान में रखा जा सकता है-यह तब संभव है जब प्रक्रिया यू/एस हो।432 (2) यह केवल एक औपचारिकता बन जाएगी-हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि उपयुक्त सरकार को यांत्रिक रूप से पीठासीन न्यायाधीश की राय का पालन करना चाहिए-यदि पीठासीन न्यायाधीश की राय एस की आवश्यकताओं का पालन नहीं करती है।432 (2) या यदि न्यायाधीश छूट देने के लिए प्रासंगिक कारकों पर विचार नहीं करता है

बी.

सी.

डी.

ई.

लक्ष्मण नस्कर बनाम भारत संघ में निर्धारित सरकार कर सकती है

पीठासीन न्यायाधीश से मामले पर नए सिरे से विचार करने का अनुरोध करें-वर्तमान मामले में, यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि पीठासीन न्यायाधीश ने लक्ष्मण नस्कर में निर्धारित कारकों को ध्यान में रखा है-इस प्रकार, अपर्याप्त तर्क के साथ एक राय एस की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगी।432 (2) सी. आर. पी. सी.-इसके अलावा, यह उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा जिसके लिए अभ्यास यू/एस।432 (2) ऐसा किया जाना है, जो कार्यपालिका को सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए एक सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है-इसलिए, माफी के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर फिर से विचार किया जाना चाहिए-विशेष न्यायाधीश को पर्याप्त तर्क के साथ आवेदन पर नए सिरे से एक राय प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है जो लक्ष्मण नस्कर में निर्धारित सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखता है जो माफी के अनुदान को नियंत्रित करते हैं।

एफ.

जी.

माफी की शक्ति-न्यायिक समीक्षा-पर चर्चा की गई।

एच.

1105

राम चंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और ए. एन. आर.

ए.

रिट याचिका को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.** जबकि सजा को निलंबित करने या माफ करने का विवेकाधिकार सरकार के पास निहित है, कार्यकारी शक्ति का उपयोग मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता है।कार्यपालिका का विशेषाधिकार कानून के शासन और संविधान के अनुच्छेद **14** में सन्निहित राज्य की कार्रवाई में निष्पक्षता के अधीन है।क्षमा की शक्ति का उपयोग मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता है।माफी देने का निर्णय सूचित, निष्पक्ष और उचित होना चाहिए।**[**पैरा **12] [1116-**बी**-**सी**]**

बी.

2. जबकि न्यायालय यह निर्धारित करने के लिए सरकार के फैसले की समीक्षा कर सकती है कि क्या यह मनमाना था, यह सरकार की शक्ति को हड़प नहीं सकता है और खुद को माफ नहीं कर सकता है।जहाँ कार्यपालिका द्वारा शक्ति का प्रयोग मनमाना पाया जाता है, वहाँ अधिकारियों को दोषी के मामले पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया जा सकता है। न्यायालय के पास यह निर्धारित करने के लिए कि क्या निर्णय मनमाना प्रकृति का है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **432** के तहत छूट के लिए आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में सरकार के निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति है।न्यायालय को सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का निर्देश देने का अधिकार है।**[**पारस **13** और **14] [1116-**एफ**-**जी**; 1120-**ए**-**बी**]**

सी.

डी.

3. सी**.** आर**.** पी**.** सी**.** की धारा **432** की उप**-**धारा **(2)** में प्रावधान है कि उपयुक्त सरकार न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश की राय ले सकती है, जिससे पहले या जिसके द्वारा माफी के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को इस बात पर दोषी ठहराया गया है कि आवेदन को अनुमति दी जानी चाहिए या अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए, ऐसी राय के कारणों के साथ। **[**पैरा **15] [1120-**बी**-**सी**]**

ई.

4. ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालयों के बीच इस बात पर मतभेद है कि क्या पीठासीन न्यायाधीश की राय सरकार के लिए बाध्यकारी है।बॉम्बे के उच्च न्यायालय ने माना है कि पीठासीन न्यायाधीश की राय बाध्यकारी है।**[**पैरा **18] [1123-**एफ**-**जी**]**

एफ.

5. दूसरी ओर**,** पटना उच्च न्यायालय ने माना है कि पीठासीन न्यायाधीश की राय बाध्यकारी नहीं है**,** बल्कि केवल एक मार्गदर्शक कारक है।उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य की सजा

जी.

एच.

ए.

माफी बोर्ड में उच्च**-**स्तरीय अधिकारी होते हैं जो अपने स्वतंत्र ज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं और पीठासीन न्यायाधीश की राय से बाध्य नहीं होते हैं।**[**पैरा **19] [1124-**एच**; 1125-**ए**]**

6. श्रीहरण के मामले में**,** न्यायालय ने कहा कि पीठासीन न्यायाधीश की राय अपराध की प्रकृति**,** दोषी के रिकॉर्ड**,** उनकी पृष्ठभूमि और अन्य प्रासंगिक कारकों पर प्रकाश डालती है। महत्वपूर्ण रूप से**,** न्यायालय ने कहा कि पीठासीन न्यायाधीश की राय सरकार को यह 'सही' निर्णय लेने में सक्षम बनाएगी कि सजा को माफ किया जाना चाहिए या नहीं।इसलिए**,** यह नहीं कहा जा सकता है कि पीठासीन न्यायाधीश की राय केवल एक प्रासंगिक कारक है**,** जिसका छूट के आवेदन पर कोई निर्धारक प्रभाव नहीं पड़ता है।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **432 (2)** के तहत प्रक्रियात्मक सुरक्षा का उद्देश्य विफल हो जाएगा यदि पीठासीन न्यायाधीश की राय केवल एक अन्य कारक बन जाती है जिसे सरकार द्वारा माफी के लिए आवेदन पर निर्णय लेते समय ध्यान में रखा जा सकता है।तब यह संभव है कि धारा **432 (2)** के तहत प्रक्रिया केवल एक औपचारिकता बन जाएगी।हालाँकि**,** इसका मतलब यह नहीं है कि उपयुक्त सरकार को यांत्रिक रूप से पीठासीन न्यायाधीश की राय का पालन करना चाहिए।यदि पीठासीन न्यायाधीश की राय धारा **432 (2)** की आवश्यकताओं का पालन नहीं करती है या यदि न्यायाधीश छूट देने के लिए प्रासंगिक कारकों पर विचार नहीं करता है

बी.

सी.

डी.

ई.

जिनका उल्लेख लक्ष्मण नस्कर बनाम भारत संघ में किया गया है।

मामले में, सरकार पीठासीन न्यायाधीश से मामले पर नए सिरे से विचार करने का अनुरोध कर सकती है।[पारस **20** और **21] [1125-**जी-एच**; 1126-**ए-सी**]7.** तत्काल मामले में, यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि पीठासीन न्यायाधीश ने उन कारकों को ध्यान में रखा है जो

एफ.

लक्ष्मण नस्कर बनाम भारत संघ के मामले में निर्धारित।ये कारक हैं

इसमें यह आकलन करना शामिल है कि क्या अपराध बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित करता है**; (ii)** अपराध की पुनरावृत्ति की संभावना**; (iii)** भविष्य में अपराध करने के लिए दोषी की क्षमता**; (iv)** यदि दोषी को जेल में रखकर कोई सार्थक उद्देश्य पूरा किया जा रहा है**;** और **(v)** दोषी के परिवार की सामाजिक**-**आर्थिक स्थिति।समय से पहले रिहाई के लिए एक दोषी के आवेदन पर निर्णय लेते समय इन कारकों पर विचार किया जाएगा।**[**पैरा **22] [1126-**सी**-**ई**]** ए

जी.

एच.

1107

राम चंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और ए. एन. आर.

हरियाणा राज्य बनाम जगदीश **(2010) 4** एससीसी **216:[2010] 3** एससीआर **716;** लक्ष्मण नस्कर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य

(2000) 7 एससीसी **626:[2000] 3** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 62-**पर निर्भर।

8. 21 जुलाई **2021** को अपनी राय में विशेष न्यायाधीश ने उस अपराध का उल्लेख किया जिसके लिए याची को दोषी ठहराया गया था और केवल यह कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए माफी देना उचित नहीं होगा।राय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **432 (2)** के प्रावधानों के आधार पर है**,** जिसके लिए आवश्यक है कि पीठासीन न्यायाधीश की राय कारणों के साथ होनी चाहिए।यदि संबंधित प्राधिकारी ने प्रासंगिक कारण प्रदान किए हैं तो कारण देने की आवश्यकता पूरी हो जाती है।यांत्रिक कारणों को पर्याप्त नहीं माना जाता है। इस प्रकार**,** अपर्याप्त तर्क के साथ एक राय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **432 (2)** की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगी। इसके अलावा**,** यह उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा जिसके लिए धारा **432 (2)** के तहत अभ्यास किया जाना है**,** जो कार्यपालिका को सभी प्रासंगिक

कारकों को ध्यान में रखते हुए एक सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।**[**पारस **23** और **24] [1126-**एफ**-**जी**; 1127-**डी**]**

बी.

सी.

डी.

हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंडिया (एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ) (लेक्सिस नेक्सिस, ऑनलाइन संस्करण)-संदर्भित।

ई.

9.याचिकाकर्ता के माफी के आवेदन पर फिर से विचार किया जाना चाहिए।विशेष न्यायाधीश को निर्देश दिया जाता है कि वह आवेदन पर नए सिरे से पर्याप्त तर्क के साथ एक राय प्रदान करे जो लक्ष्मण नस्कर बनाम भारत संघ में निर्धारित माफी के अनुदान को नियंत्रित करने वाले सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखता है।**[**पैरा **25] [1127-**ई**-**एफ**]**

एफ.

भारत संघ बनाम श्रीहरण **@**मुरुगन **(2014) 4** एस**.** सी**.** सी**. 242:[2014] 1** एस**.** सी**.** आर**. 1093;** संगीत बनाम हरियाणा राज्य

(2013) 2 एससीसी 452:[2012] 13 एस. सी. आर. 85; राज्य

हरियाणा बनाम मोहिंदर सिंह **(2000) 3** एस**.** सी**.** सी**. 394:[2000] 1** एस**.** सी**.** आर**. 698;** भागवत सरन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **1983 (1)** एस**.** सी**.** सी**. 389;** योशेवेल बनाम बॉम्बे राज्य सी**.** आर**.** एल**.**। **2019** की रिट याचिका संख्या **273;** भारत संघ बनाम श्रीहरण **(2016) 7** एस**.** सी**.** सी**. 1:[2015] 14** एस**.** सी**.** आर**. 613;** मध्य प्रदेश राज्य बनाम

जी.

एच.

ए.

रतन सिंह (1976) 3 एससीसी 470:[1976] 0 पूरक।एससीआर

552; राजन बनाम गृह सचिव**,** गृह विभाग

तमिलनाडु (2019) 14 एससीसी 114:[2019] 6 एस. सी. आर. 1035-संदर्भित।

संदर्भित निर्णय

बी.

[2014] 1 एससीआर **1093**

संदर्भित किया गया है

पैरा **(9** वी**)**

[2012] 13 एससीआर **85**

संदर्भित किया गया है

पैरा **(9 vi)**

[2000] 1 एससीआर **698**

संदर्भित किया गया है

पैरा **(9 vii)**

[1983] 1 एस**.** सी**.** सी**. 389**

संदर्भित किया गया है

पैरा **(9 viii)**

सी.

[2015] 14 एससीआर **613**

संदर्भित किया गया है

पैरा **(10 iii)**

[1976] पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 552** पैरा **(10 iv) [2019] 6** एस**.** सी**.** आर**. 1035** पैरा **(10 iv) [2000] 3** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एससीआर **62** पर भरोसा किया गया

डी.

पैरा **22**

[2010] 3 एससीआर **716**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **22**

आपराधिक मूल न्यायनिर्णय:2022 की लिखित याचिका (सी. आर. एल.) संख्या 49।

ई.

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत) मोहम्मद।इरशाद हनीफ, रिज़वान अहमद, मुजाहिद अहमद, ए. आर. सिद्दीकी, पारस नाथ सिंह, अधिवक्तागण याची के लिए।

सुमीर सोधी, गौरव अरोड़ा, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एफ.

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

1. संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका एक दोषी द्वारा दायर की गई है, जो अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 1 की धारा 149 सहपठित दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने पर आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। वह एक रिट जारी करने की मांग करता है जिसमें पहले प्रत्यर्थी को उसे समय से पहले रिहा करने का निर्देश दिया जाए। तथ्यात्मक पृष्ठभूमि नीचे दी गई है।

जी.

1 " आई. पी. सी. "ए

एच.

1109

राम चंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

2. याची और सह-आरोपी घातक हथियारों के साथ एक ट्रैक्टर में आए और शिकायतकर्ता पर हमला किया और उसके पिता और भाई की हत्या कर दी, जब वे अन्य ग्रामीणों के साथ गाँव के तालाब के पास बैठे थे।दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी का कारण वन विभाग द्वारा सह-अभियुक्तों में से एक की शीशम लकड़ी को जब्त करना और उसकी मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर को नुकसान पहुंचाना था, जिसके लिए अभियुक्त व्यक्तियों को शिकायतकर्ता और उसके परिवार पर संदेह था। निचली विचारण न्यायालय 2 ने 7 दिसंबर 2010 को याची और अन्य आरोपी को दोषी ठहराया।याची को आई. पी. सी. की धारा 147,148,302/149 और 324/149 के तहत अपराधों का दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 3 (2) (5) के तहत भी आरोप तय किया गया था क्योंकि शिकायतकर्ता और उसका परिवार अनुसूचित जाति से था, निचली विचारण न्यायालय ने आरोप के सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया क्योंकि यह दिखाने के लिए कोई सबूत

नहीं मिला कि शिकायतकर्ता या मृतक को उनकी जाति के आधार पर अपमानित या डराया गया था।छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा 10 मई 2013 को सजा की पुष्टि की गई थी।उच्च न्यायालय के फैसले से व्यथित होकर, याची ने इस न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका 4 को प्राथमिकता दी जिसे खारिज कर दिया गया।

बी.

सी.

डी.

3. 25 सितंबर 2021 को, याची ने बिना किसी छूट के 16 साल का कारावास पूरा किया और छत्तीसगढ़ जेल नियम 1968 5 के नियम 358 के तहत प्रत्यर्थी को समय से पहले रिहाई के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया।नियम 358 इस प्रकार प्रदान करता हैः

ई.

“नियम **358-**आजीवन कारावास की सजा पाए कैदियों की समयपूर्व रिहाई।

एफ.

.....

(3)(ए)।प्रत्येक पुरुष या महिला कैदी का मामला जो 17 दिसंबर, 1978 के बाद आजीवन कारावास की सजा काट रहा है और जो आई. पी. सी. की धारा 121,132,302,307 और 396 के तहत या किसी अन्य आपराधिक कानून के तहत दंडनीय अपराधों के तहत दोषी ठहराया जाता है, जिसमें मृत्युदंड सजा में से एक है,

जी.

2 एसटी नंबर 16/2006

3 आपराधिक अपील सं. 933/2010

4 2015 की विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) सं. 1348-49

5 “ जेल से रिहाई के नियम "

एच.

इस शर्त के साथ जेल से उसकी समय से पहले रिहाई को ध्यान में रखते हुए जहां ऐसे दोषी ने 14 साल के कारावास की अवधि पूरी कर ली है, ऐसे कैदियों के विचार के अधीन बिना छूट के कारावास की आवश्यक सजा कानूनी प्रावधानों के तहत निषिद्ध नहीं होगी।

(बी) आजीवन कारावास की सजा काट रहे अन्य सभी पुरुष कैदियों की समय से पहले रिहाई के मामले पर केवल उसी स्थिति में विचार किया जाएगा जब उन्होंने बिना किसी छूट के न्यूनतम 14 साल के कारावास की अवधि बिताई हो और यदि उन्होंने बिना किसी छूट के 10 साल का वास्तविक कारावास पूरा कर लिया हो।.....

बी.

सी.

(घ) आजीवन कारावास की सजा काट रहे ऐसे सभी कैदियों की समय से पहले रिहाई के मामले पर केवल उसी स्थिति में विचार किया जाएगा जब वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हों और यदि उन्होंने बिना किसी छूट के 7 वर्ष का वास्तविक कारावास पूरा कर लिया हो।“

डी.

4. राज्य सरकार को दंड प्रक्रिया संहिता 6 की धारा 432 के तहत सजा को निलंबित करने या माफ करने का अधिकार है।धारा 432 की उप-धारा (2) में यह प्रावधान है कि उपयुक्त सरकार न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश की राय ले सकती है या जिसके द्वारा माफी के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को इस बात पर दोषी ठहराया गया है कि आवेदन को अनुमति दी जानी चाहिए या अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए, ऐसी राय के कारणों के साथ।धारा 432 की उप-धारा (2) इस प्रकार हैः

ई.

“धारा **432-**सजा को निलंबित करने या माफ करने की शक्ति।

....

एफ.

(2) जब भी किसी सजा के निलंबन या माफी के लिए उपयुक्त सरकार को कोई आवेदन किया जाता है, तो उपयुक्त सरकार उस न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश से इस बारे में अपनी राय बताने के लिए कह सकती है कि क्या आवेदन को उसकी राय के कारणों के साथ दिया जाना चाहिए या अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए और ऐसी राय के बयान के साथ मुकदमे के रिकॉर्ड या उसके ऐसे रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति भी भेजनी चाहिए जो मौजूद है।

जी.

....”

6 “ सीआरपीसी "

एच.

1111

राम चंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

ए.

5. सी. आर. पी. सी. की धारा 433-ए निम्नलिखित शर्तों में छूट की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती हैः

“ 433A. छूट या परिवर्तन की शक्तियों पर प्रतिबंध

कुछ मामलों में।-धारा 432 में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी व्यक्ति को उस अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, जिसके लिए मृत्यु कानून द्वारा प्रदान किए गए दंडों में से एक है, या जहां किसी व्यक्ति पर लगाई गई मौत की सजा को धारा 433 के तहत आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को जेल से तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने कम से कम चौदह साल का कारावास नहीं बिताया हो।”

बी.

सी.

6. 1 मई 2021 के एक पत्र द्वारा, दुर्ग में केंद्रीय जेल के जेल अधीक्षक ने विशेष न्यायाधीश, दुर्ग की राय मांगी कि क्या याची को छूट पर रिहा किया जा सकता है।2 जुलाई 2021 को, विशेष न्यायाधीश ने अपनी राय दी कि मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, याची की शेष सजा को माफ करने की अनुमति देना उचित नहीं होगा।विशेष न्यायाधीश की राय वाले पत्र के प्रासंगिक भाग नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैंः“वर्तमान आवेदन के साथ दाखिल किए गए दस्तावेजों का अवलोकन किया।विशेष मामला सं. 16/2006 "राज्य बनाम राज्य" में पारित 07.12.2010 दिनांकित निर्णय का अवलोकन किया। अनिल और अन्य. "धारा 147,148,302/149,302/149,307/149 और 3 (2) (5) अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, (भ्रष्टाचार निवारण) अधिनियम के तहत। खजान सिंह के आरोपी बेटे रामचंदर 8 अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों के साथ कानून के खिलाफ इकट्ठा हुआ है और घातक हथियारों तलवार, कुल्हाड़ी, लकड़ी की छड़ी (डंडा) का उपयोग करके कार्तिकराम और पुनीत को मार डाला है, इस मामले के संबंध में आरोपी जेल की सजा काट रहा है।

डी.

ई.

एफ.

फिर इस स्थिति में सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त कैदी की शेष सजा को माफ करने की अनुमति देना उचित नहीं लगता है, इसलिए इसके लिए सिफारिश नहीं की जाती है।"

जी.

7. विशेष न्यायाधीश की राय के साथ याची की माफी के लिए आवेदन महानिदेशक, जेल और सुधार सेवाओं को भेज दिया गया था।30 सितंबर 2021 को महानिदेशक ने अतिरिक्त प्रमुख को संबोधित एक पत्र के माध्यम से याची का मामला गृह विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार को प्रस्तुत किया।

एच.

सचिव, जेल विभाग।इसके बाद, जेल विभाग ने 6 अक्टूबर 2021 को एक नोट शीट में याची के मामले को राज्य सरकार के कानून विभाग को भेज दिया।विधि विभाग के अवर सचिव ने 27 नवंबर 2021 को एक नोट शीट के माध्यम से अपनी राय साझा की जिसमें कहा गया था कि याची को धारा 433-ए दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का लाभ नहीं दिया जा सकता है क्योंकि पीठासीन न्यायाधीश ने याची को छूट पर रिहा करने के खिलाफ राय दी थी।

बी.

8. 2 मार्च 2022 को महानिदेशक, जेल और सुधार सेवा ने याची के मामले को फिर से अतिरिक्त मुख्य सचिव, जेल विभाग को माफी के लिए भेजा, क्योंकि याची ने माफी के साथ 20 साल का कारावास पूरा कर लिया था।जेल विभाग ने विधि विभाग से राय मांगी, जिसमें कहा गया कि चूंकि सजा सुनाने वाली न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश ने याची की रिहाई के संबंध में सकारात्मक राय नहीं दी है, इसलिए उसे रिहा नहीं किया जा सकता है।

सी.

वकील की प्रस्तुतियाँ

डी.

9. याची की ओर से पेश वकील श्री एम. डी. इरशाद हनीफ ने निम्नलिखित दलीलें दीं:

(i) सजा सुनाने वाली अदालत के पीठासीन न्यायाधीश की सहमति के बिना भी 14 साल पूरे होने के बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433-ए के तहत एक दोषी-कैदी को समय से पहले रिहा करने पर विचार किया जा सकता है।

ई.

((ii) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 (2) के तहत, उपयुक्त सरकार को सजा सुनाने वाली अदालत के पीठासीन न्यायाधीश की राय लेने का विवेकाधिकार है।

एफ.

(iii) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 (2) में यह इंगित करने के लिए स्पष्टता का अभाव है कि क्या पीठासीन न्यायाधीश जिसकी राय मांगी जानी है, वह उस न्यायाधीश के समान होना चाहिए जिसने दोषसिद्धि दर्ज की है क्योंकि उसने मुकदमे के दौरान अभियुक्त-दोषी के आचरण का अवलोकन नहीं किया होगा।

(iv) याची जेल नियमों के नियम 358 (3) (ए), (बी) और (डी) के तहत पूर्व-परिपक्व रिहाई के लिए विचार किए जाने का हकदार है;

जी.

(v) जबकि सरकार न्यायालय प्रक्रिया संहिता की धारा 432 (2) के तहत सजा सुनाने वाली अदालत की राय लेने के लिए बाध्य है, वह स्वयं राय से बाध्य नहीं है।ए में इस न्यायालय का निर्णय

एच.

1113

राम चंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

भारत संघ बनाम श्रीहरण @मुरुगन **7** में संकेत है

इस संबंध में;

(vi) संगीत बनाम हरियाणा राज्य 8 में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि सजा सुनाने वाले न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश की राय कारणों के साथ होनी चाहिए;

बी.

(vii) हरियाणा राज्य बनाम मोहिंदर सिंह 9 के मामले में, इस न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया कि माफी की शक्ति का मनमाने ढंग से प्रयोग नहीं किया जा सकता है।छूट देने का निर्णय सूचित, निष्पक्ष और उचित होना चाहिए।

(viii) पीठासीन न्यायाधीश ने केवल अपनी राय में कहा है कि सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, छूट के आवेदन की अनुमति देना उचित नहीं है।यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि न्यायाधीश ने छूट देने के लिए निम्नलिखित तीन कारकों को ध्यान में रखा-(i) याची का पूर्ववृत्त; (ii) जेल में याची का आचरण; और (iii) रिहा होने पर याची के अपराध करने की संभावना।भागवत सरन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 10 में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि "उनकी रिहाई से कानून और व्यवस्था के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना को इंगित करने के किसी भी प्रयास के बिना एक गंजा बयान स्वीकार नहीं किया जा सकता है";

सी.

डी.

(ix) हरियाणा राज्य बनाम जगदीश 11 में इस न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में पूर्व-परिपक्व रिहाई के आवेदन पर निर्णय लेने के लिए दोषसिद्धि के समय लागू नीति पर विचार किया जाना चाहिए।इस प्रकार, 2010 में याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि के समय लागू नियम छूट के लिए उसके आवेदन पर विचार करने के लिए लागू होंगे; और

ई.

एफ.

(x) लक्ष्मण नस्कर बनाम भारत संघ 12 में, इस न्यायालय ने यह फैसला सुनाया

यह कि पुलिस द्वारा पूर्व-परिपक्व रिहाई के अनुदान के संबंध में निम्नलिखित कारकों की सूचना दी जानी चाहिएः

(क) क्या अपराध व्यक्तिगत अपराध है जो समाज को प्रभावित नहीं करता है;

जी.

7 (2014) 4 एससीसी 242

8 (2013) 2 एससीसी 452

9 (2000) 3 एस. सी. सी. 394

10 1982 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 1145-1149 दिनांक 6 दिसंबर 1982 11 (2010) 4 एससीसी 216

12 (2000) 2 एस. सी. सी. 595

एच.

(ख) क्या भविष्य में अपराध की पुनरावृत्ति होने की संभावना है;

(ग) क्या दोषी ने अपराध करने की क्षमता खो दी है;

((घ) क्या दोषी को जेल में रखने का कोई उद्देश्य पूरा हो रहा है; और

बी.

(ई) दोषी के परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थितियाँ।10. प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए वकील श्री सुमीर सोधी ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दीं:

(i) याचिकाकर्ता के मामले पर केवल जेल नियमों के नियम 358 (3) (ए) के तहत विचार किया जा सकता है न कि नियम 358 (3) (बी) या 358 (3) (डी) के तहत।

सी.

((ii) बंबई उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने निर्णय दिया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 (2) के संदर्भ में पीठासीन न्यायाधीश द्वारा दी गई राय सरकार के लिए बाध्यकारी है।

डी.

(iii) भारत संघ बनाम श्रीहरण 14 में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि निलंबन या छूट का अंतिम आदेश सजा सुनाने वाले न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की राय से निर्देशित होना चाहिए और यह कि एक दोषी को माफी का अधिकार नहीं है, बल्कि केवल माफी का दावा करने का अधिकार है; और

ई.

((iv) मध्य प्रदेश राज्य बनाम रतन सिंह 15 में, यह न्यायालय

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सरकार के पास दोषी की सजा को माफ करने या माफ करने से इनकार करने का एकमात्र विवेकाधिकार है।कैदी को रिहा करने के लिए सरकार को कोई रिट जारी नहीं की जा सकती है।राजन बनाम गृह सचिव, गृह मामले में इस न्यायालय के निर्णय

एफ.

तमिलनाडु विभाग **16** और श्रीहरण **(**ऊपर**)** ने बरकरार रखा

एक ही सिद्धांत।

विश्लेषण

A. छूट की शक्ति की न्यायिक समीक्षा

जी.

11. उत्तरदाताओं का कहना है कि उपयुक्त सरकार के पास यह तय करने का पूर्ण विवेकाधिकार है कि क्या माफी के लिए आवेदन किया गया है।

13 योशेवेल बनाम बॉम्बे राज्य, क्र. सं. 2019 की लिखित याचिका संख्या 273 14 (2016) 7 एस. सी. सी. 1; "श्रीहरण"

15 (1976) 3 एस. सी. सी. 470

16 (2019) 14 एससीसी 114 ए

एच.

1115

राम चंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

अनुमति दी जानी चाहिए।वास्तव में, रतन सिंह (ऊपर) में, इस न्यायालय ने कहा है कि राज्य के पास सजा को माफ करने या माफ करने से इनकार करने का निस्संदेह विवेकाधिकार है और याची को रिहा करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए कोई रिट जारी नहीं की जा सकती है।न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता 1898 की धारा 401 की व्याख्या कर रहा था, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 से मेल खाती है। धारा 401 ने उपयुक्त सरकार को पूरी या सजा के किसी भी हिस्से को माफ करने का अधिकार दिया।न्यायालय ने छूट की शक्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले प्रस्तावों को संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए कहाः

बी.

"9. अधिकारियों की समीक्षा और दंड प्रक्रिया संहिता के वैधानिक प्रावधानों से निम्नलिखित प्रस्ताव सामने आते हैंः

सी.

"(1) कि आजीवन कारावास की सजा स्वतः 20 वर्षों के अंत में समाप्त नहीं होती है, जिसमें छूट भी शामिल है, क्योंकि विभिन्न जेल नियमावली या जेल अधिनियम के तहत बनाए गए प्रशासनिक नियम दंड संहिता, 1860 के वैधानिक प्रावधानों का स्थान नहीं ले सकते हैं। आजीवन कारावास की सजा का अर्थ है कैदी के पूरे जीवन के लिए एक सजा जब तक कि उपयुक्त सरकार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 के तहत सजा के पूरे या एक हिस्से को माफ करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करने का विकल्प नहीं चुनती है।

डी.

ई.

(2) कि उपयुक्त सरकार के पास सजा को माफ करने या माफ करने से इनकार करने का निस्संदेह विवेकाधिकार है और जहां वह सजा को माफ करने से इनकार करती है तो राज्य सरकार को कैदी को रिहा करने का निर्देश देते हुए कोई रिट जारी नहीं की जा सकती है**;**

एफ.

(3) कि उपयुक्त सरकार जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 के तहत छूट देने के लिए सशक्त है, वह राज्य सरकार है जहां कैदी को दोषी ठहराया गया है और सजा सुनाई गई है, अर्थात हस्तांतरणकर्ता राज्य, न कि हस्तांतरणकर्ता राज्य जहां कैदी को कैदी हस्तांतरण अधिनियम के तहत उसके कहने पर स्थानांतरित किया गया हो; और

जी.

(4) कि जहाँ अंतरिती राज्य यह महसूस करता है कि अभियुक्त ने 20 वर्ष की अवधि पूरी कर ली है, वहाँ उसे केवल कैदी के अनुरोध को संबंधित राज्य सरकार, अर्थात उस राज्य सरकार को अग्रेषित करना होगा जहाँ कैदी को दोषी ठहराया गया था और सजा सुनाई गई थी और भले ही यह अनुरोध राज्य द्वारा अस्वीकार कर दिया गया हो।

एच.

सरकार के आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा अपने रिट अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।"

(जोर दिया गया**)**

12. जबकि सजा को निलंबित करने या माफ करने का विवेकाधिकार सरकार के पास निहित है, कार्यकारी शक्ति का उपयोग मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता है।कार्यपालिका का विशेषाधिकार कानून के शासन और संविधान के अनुच्छेद 14 में सन्निहित राज्य की कार्रवाई में निष्पक्षता के अधीन है।मोहिंदर सिंह (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि माफी की शक्ति का मनमाने ढंग से प्रयोग नहीं किया जा सकता है।माफी देने का निर्णय सूचित, निष्पक्ष और उचित होना चाहिए।न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया:

बी.

सी.

"9. माफी देने वाला परिपत्र कानून के तहत अधिकृत है।यह उन कैदियों के संबंध में सीमाएं निर्धारित करता है जो पात्र हैं और जिन्हें बाहर रखा गया है।जो कैदी पात्र हैं, उन्हें सजा में छूट देने की शर्तें भी परिपत्र द्वारा निर्धारित की गई हैं।कैदियों को अपनी सजा की माफी का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है जब तक कि कानून द्वारा निर्धारित और उसके तहत जारी परिपत्र को छोड़कर। यह विशेष छूट किसी विशेष अपराध के लिए दोषी ठहराए गए कैदी पर लागू नहीं होगी, निश्चित रूप से राज्य सरकार के लिए उस मामले में माफी की शक्ति का प्रयोग नहीं करने के लिए एक प्रासंगिक विचार हो सकता है।हालाँकि, माफी की शक्ति का उपयोग मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता है।छूट देने का निर्णय सभी संबंधितों के लिए अच्छी तरह से सूचित, उचित और निष्पक्ष होना चाहिए।"

डी.

ई.

संगीत (ऊपर) में, इस न्यायालय ने इस सिद्धांत को दोहराया कि मोहिंदर (ऊपर) में निर्णय पर भरोसा करके माफी की शक्ति का मनमाने ढंग से प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

13. जबकि न्यायालय यह निर्धारित करने के लिए सरकार के फैसले की समीक्षा कर सकती है कि क्या यह मनमाना था, यह सरकार की शक्ति को हड़प नहीं सकता है और खुद को माफ नहीं कर सकता है।जहाँ कार्यपालिका द्वारा शक्ति का प्रयोग मनमाना पाया जाता है, वहाँ अधिकारियों को दोषी के मामले पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया जा सकता है।

एफ.

लक्ष्मण नस्कर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य **17** में**,** जबकि जेल

जी.

अधिकारी याची को रिहा करने के पक्ष में थे, सरकार द्वारा गठित समीक्षा समिति ने समय से पहले रिहाई के दावे को इस आधार पर खारिज करने की सिफारिश की कि (i) मुकदमे के दौरान गवाही देने वाले दो गवाह और इलाके के लोग आशंकित थे

17 (2000) 7 एससीसी 626 ए

एच.

कि याची की रिहाई से इलाके में शांति भंग होगी; (ii) याची 43 वर्ष का था और अपराध करने की क्षमता रखता था; और (iii) अपराध एक राजनीतिक झगड़े के संबंध में हुआ था जिसने बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित किया था।न्यायालय ने लक्ष्मण नस्कर बनाम भारत संघ (उपर्युक्त)

पर भरोसा रखते हुए छूट के अनुदान को नियंत्रित करने वाले कारकों को निर्धारित किया, अर्थात्ः

बी.

“6...(i) क्या अपराध बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित किए बिना अपराध का एक व्यक्तिगत कार्य है।

((ii) क्या भविष्य में अपराध करने की पुनरावृत्ति की कोई संभावना है।

सी.

((iii) क्या दोषी ने अपराध करने की अपनी क्षमता खो दी है।

((iv) क्या इस दोषी को और सीमित करने का कोई सार्थक उद्देश्य है।

(v) दोषी के परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति।”

डी.

उपरोक्त कारकों के आधार पर, न्यायालय ने पाया कि छूट के दावे को अस्वीकार करने का सरकार का निर्णय उन कारणों पर आधारित था जो अप्रासंगिक या सारहीन थे।न्यायालय ने सरकार के आदेश को रद्द कर दिया और मामले पर नए सिरे से फैसला करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दियाः

ई.

“8. अगर हम सरकार द्वारा दिए गए कारणों को देखें, तो हमें डर है कि वे स्पष्ट रूप से अप्रासंगिक या सारहीन हैं।सबसे पहले, मामले में जिन गवाहों से पूछताछ की गई थी या इलाके के व्यक्तियों के विचार यह निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि यदि याची को समय से पहले रिहा कर दिया जाता है तो क्या वह एक खतरा होगा क्योंकि इलाके के व्यक्ति और गवाह अभी भी अतीत में जीवित हो सकते हैं और वर्तमान और जेल अधिकारियों की रिपोर्ट के संदर्भ के बिना उनकी यादों पर भरोसा किया जा रहा है कि याची ने काफी हद तक खुद में सुधार किया है। दूसरा, किसी की उम्र के कारण कोई यह नहीं कह सकता कि दोषी में अभी भी अपराध करने की क्षमता है या नहीं, लेकिन यह उन मामलों के प्रति उसके रवैये पर निर्भर करता है, जिन पर सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है।अंत में, यह सुझाव कि यह घटना अपराध का एक व्यक्तिगत कार्य नहीं है, बल्कि बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित करने वाले राजनीतिक कलह की अगली कड़ी है, क्या उनके राजनीतिक विचार बदल गए हैं या अभी भी अपराध करने के लिए समान हैं, सरकार द्वारा इसकी जांच नहीं की गई है।

एफ.

जी.

9. ऊपर बताए गए आधारों के आधार पर सरकार याची द्वारा किए गए दावे को खारिज नहीं कर सकती थी।इन परिस्थितियों में, हम सरकार द्वारा दिए गए आदेश को रद्द करते हैं और इस न्यायालय द्वारा पहले जो कहा गया है और इस आदेश में की गई हमारी टिप्पणियों के आलोक में याची के मामले की जांच करने के लिए मामले को फिर से भेजते हैं, जिसके आधार पर सरकार ने जेल अधिकारियों की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया और 1992 का पश्चिम बंगाल सुधार सेवा अधिनियम 32 लागू करके कानून में बदलाव पर भी ध्यान देने और आज से तीन महीने की अवधि के भीतर मामले पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए।तदनुसार रिट याचिका की अनुमति दी जाती है।नियम जारी करने के बाद इसे निरपेक्ष बना दिया जाता है।"

बी.

सी.

14. राजन (ऊपर) में, न्यायालय ने कहा कि हालांकि माफी देना कार्यपालिका का अनन्य विशेषाधिकार है और न्यायालय अपने विचार को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती है, लेकिन न्यायालय अधिकारियों को दोषी के प्रतिनिधित्व पर फिर से विचार करने का निर्देश दे सकती है। न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

डी.

"18. हालाँकि, याची राम सेवक [राम सेवक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 2012] मामले में इस न्यायालय के गैर-सूचित निर्णय पर भरोसा करेगा, यह तर्क देने के लिए कि यह न्यायालय अधिकारियों को याची को तुरंत रिहा करने का निर्देश दे सकता है और राज्य द्वारा आगे विचार करने का निर्देश देने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि याची पहले ही 30 साल से अधिक की सजा काट चुका है और 36 साल से अधिक की छूट के साथ है।राम सेवक [राम सेवक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 2012] में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्पष्ट रूप से उस मामले के तथ्यों में है। वास्तव में यह

ई.

अब तक अच्छी तरह से तय किया गया है कि अनुदान या छूट का गैर-अनुदान सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रयोग किया जाने वाला विशेषाधिकार है और उस प्रक्रिया को प्रतिस्थापित करना न्यायालय का काम नहीं है।वास्तव में, समय से पहले रिहाई का अनुदान विशेषाधिकार का विषय नहीं है, बल्कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **432** और **433** के संदर्भ में उपयुक्त सरकार को प्रदत्त कर्तव्य के साथ शक्ति है, जिसका उपयोग सक्षम प्राधिकारी द्वारा सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए, जैसे कि यह किए गए अपराध की प्रकृति और माफी के प्रभाव को कम नहीं करेगा जो समाज की चिंता के साथ-साथ राज्य सरकार की चिंता भी हो सकती है।

एफ.

जी.

.....

एच.

1119

राम चंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

ए.

20. इस प्रकार हम यह समझते हैं कि हम याची द्वारा दावा की गई राहत को स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि वह उत्तरदाताओं को याची को तुरंत रिहा करने का निर्देश दे या उत्तरदाताओं को शेष सजा को माफ करने और याची को रिहा करने का निर्देश दे।याची , सबसे अच्छा, उत्तरदाताओं को अपने योग्यता के आधार पर और कानून के अनुसार, शीघ्रता से अपने अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए निर्देश जारी करने की राहत का हकदार है।शायद हम समझ नहीं पाएँ

बी.

याची के दावे के गुण-दोष पर किसी भी तरह से कोई राय व्यक्त की हो।यह तथ्य कि समय से पहले रिहाई के लिए याची के अनुरोध पर पहले ही एक बार विचार किया जा चुका था और राज्य सरकार के सलाहकार बोर्ड द्वारा खारिज कर दिया गया था, हमारी राय में, 5-2-2018 पर किए गए अपने नए अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए याची के रास्ते में नहीं आना चाहिए। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि सलाहकार बोर्ड की राय केवल परिवीक्षा अधिकारी, मदुरै और जिला कलेक्टर, मदुरै की नकारात्मक सिफारिश को संदर्भित करती है।राज्य सरकार द्वारा बताए गए अतिरिक्त कारण इस प्रकार प्रतीत होते हैं:

सी.

डी.

“(4) 20-1-2010 पर आयोजित सलाहकार बोर्ड की कार्यवाही इस प्रकार हैः

(i) मामले की सुनवाई की जाती है और संबंधित अभिलेखों की जांच की जाती है।आरोपी श्रीलंकाई नागरिक है और इस गंभीर अपराध से पहले चेंगलपेट में विशेष शिविर में रखा गया था।

ई.

(ii) परिवीक्षा अधिकारी, मदुरै और जिला कलेक्टर, मदुरै ने समय से पहले रिहाई की सिफारिश नहीं की है।

(iii) इसके अलावा इस कैदी ने अपने कृत्य के लिए पश्चाताप नहीं किया है।

(iv) समय से पहले रिहाई की याचिका 'अनुशंसित नहीं' है।(5) सरकार सावधानीपूर्वक जाँच के बाद सलाहकार बोर्ड, वेल्लोर की सिफारिश को स्वीकार करती है और केंद्रीय जेल, वेल्लोर में बंद आजीवन दोषी संख्या 23736, राजन, पुत्र रॉबिन की समय से पहले रिहाई को अस्वीकार कर दिया जाता है।”

एफ.

हालाँकि, समय बीतने के साथ, स्थिति में बदलाव आया होगा और विशेष रूप से, क्योंकि अब समय से पहले रिहाई के लिए याची के दावे पर केवल आई. पी. सी. की धारा 302 (3 गिनती) और धारा 307 (4 गिनती) के तहत अपराधों के लिए उसे दिए गए आजीवन कारावास की सजा के संदर्भ में विचार करना होगा।”

जी.

एच.

(जोर दिया गया**)**

उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय के पास यह निर्धारित करने के लिए कि क्या निर्णय मनमाना प्रकृति का है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 के तहत छूट के लिए आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में सरकार के निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति है। न्यायालय को सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का निर्देश देने का अधिकार है।

B. पीठासीन न्यायाधीश की राय का मूल्य

बी.

15. सी. आर. पी. सी. की धारा 432 की उप-धारा (2) में प्रावधान है कि उपयुक्त सरकार न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश की राय ले सकती है, जिसके द्वारा माफी के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को इस बात पर दोषी ठहराया गया है कि आवेदन को अनुमति दी जानी चाहिए या अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए, ऐसी राय के कारणों के साथ।

सी.

16. संगीत (ऊपर) में, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 432 की उप-धारा (2) से (5) मनमाने तरीके से छूट की जांच करने के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को निर्धारित करती है।न्यायालय ने कहा कि सरकार को छूट के आवेदन पर राय देने के लिए न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश से संपर्क करने की आवश्यकता है।न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

डी.

“61. हमें ऐसा प्रतीत होता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 की उप-धारा (1) के तहत उपयुक्त सरकार द्वारा शक्ति का प्रयोग इस सरल कारण से स्वतः संज्ञान नहीं लिया जा सकता है कि यह उप-धारा केवल एक सक्षम प्रावधान है।उपयुक्त सरकार कुछ शर्तों को पूरा करने के अधीन न्यायिक रूप से सुनाई गई सजा को "ओवरराइड" करने में सक्षम है।वे शर्तें या तो जेल नियमावली में या वैधानिक नियमों में पाई जाती हैं।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 की उप-धारा (1) को उचित सरकार को जेल नियमावली या सांविधिक नियमों द्वारा अनुमत न्यायिक निर्णय को "आगे बढ़ाने" में सक्षम बनाने के लिए नहीं पढ़ा जा सकता है।इस धारा के तहत "अतिरिक्त" छूट देने की प्रक्रिया किसी मामले में केवल दोषी द्वारा या उसकी ओर से माफी के लिए आवेदन के माध्यम से शुरू की जाती है।इस तरह का आवेदन किए जाने पर, उपयुक्त सरकार को न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश से संपर्क करने की आवश्यकता होती है, जिससे पहले या जिसके द्वारा दोषसिद्धि की गई थी या पुष्टि की गई थी (कारणों के साथ) यह राय देने के लिए कि आवेदन को स्वीकार किया जाना चाहिए या अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।इसके बाद, उपयुक्त सरकार छूट आवेदन पर निर्णय ले सकती है और कुछ शर्तों के अधीन छूट देने वाले आदेश पारित कर सकती है, या छूट से इनकार कर सकती है।अन्य किसी भी चीज़ के अलावा, यह वैधानिक प्रक्रिया काफी उचित प्रतीत होती है क्योंकि छूट देने के मुद्दे पर विवेक का उपयोग होता है।यह "विवेकाधीन" या ए को भी समाप्त कर देता है।

ई.

एफ.

जी.

एच.

राम चंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

"उत्सव" के अवसरों पर दोषियों की सामूहिक रिहाई क्योंकि प्रत्येक रिहाई के लिए मामले-दर-मामले के आधार पर जांच की आवश्यकता होती है।

“62. इस संदर्भ में यह याद रखना चाहिए कि यह हरियाणा राज्य बनाम मोहिंदर सिंह [(2000) 3 एस. सी. सी. 394 में आयोजित किया गया थाः2000 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 645] कि माफी की शक्ति का मनमाने ढंग से प्रयोग नहीं किया जा सकता है।छूट देने का निर्णय सभी संबंधितों के लिए अच्छी तरह से सूचित, उचित और निष्पक्ष होना चाहिए। सी. आर. पी. सी. की धारा 432 में निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया उपयुक्त सरकार द्वारा शक्ति के संभावित दुरुपयोग पर यह जांच प्रदान करती है।”

बी.

17. श्रीहरण (ऊपर) मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि धारा 432 (2) में निर्धारित प्रक्रिया अनिवार्य है।न्यायालय ने विशेष रूप से यह नहीं माना कि पीठासीन न्यायाधीश की राय बाध्यकारी होगी, लेकिन यह अभिनिर्धारित किया कि छूट पर सरकार का निर्णय संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की राय से निर्देशित होना चाहिए। न्यायालय ने निम्नलिखित प्रश्न तैयार किया थाः

सी.

“143.....क्या धारा 432 (1) के तहत छूट की शक्ति का स्वतः प्रयोग धारा की योजना में अनुमत है, यदि हां, तो क्या उसी धारा की उप-धारा (2) में निर्धारित प्रक्रिया अनिवार्य है या नहीं?”

डी.

उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

ई.

“148. उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, जब हम दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 (1) का विश्लेषण करते हैं, तो यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि किसी भी सजा को निलंबित करने या माफ करने की शक्ति पर अधिक सावधानी और सावधानी के साथ विचार किया जाना चाहिए और आदेश दिया जाना चाहिए, विशेष रूप से बड़े पैमाने पर जनता के हित में।इस पृष्ठभूमि में, जब हम दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 (1) का विश्लेषण करते हैं, तो हम पाते हैं कि यह केवल किसी भी अवधि में दी जाने वाली सजा के निलंबन या छूट के संबंध में उपयुक्त सरकार को उपलब्ध शक्ति की प्रकृति को संदर्भित करता है।शक्ति का विस्तार एक बात है और शक्ति के प्रयोग के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अलग बात है।धारा 432 (1) में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि ऐसी शक्ति का प्रयोग किसी भी आवेदन के आधार पर किया जा

सकता है।कानून में जो निर्धारित नहीं है, उसकी कल्पना या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए, जब अपराधी द्वारा किए जा रहे किसी भी आवेदन का कोई संदर्भ नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं लिया जा सकता है कि ऐसी शक्ति का प्रयोग संबंधित प्राधिकारी द्वारा अपने दम पर किया जा सकता है।इसके अलावा, जब धारा 432 (2) में स्पष्ट रूप से एक विस्तृत प्रक्रिया का पालन किया जाना है।ऐसा नहीं है कि इस तरह की शक्ति का प्रयोग करके

एफ.

जी.

एच.

धारा 432 (1) के तहत, उपयुक्त सरकार जनता या बड़े पैमाने पर समाज के लिए किसी भी बड़े कल्याणकारी उपायों में खुद को शामिल करेगी।यह कभी भी नहीं माना जा सकता है कि इस तरह की शक्ति का प्रयोग स्वतः ही किसी भी महान विकास अधिनियम का परिणाम होगा। आखिरकार, निलंबन या माफी की शक्ति का इस तरह का प्रयोग केवल उस अपराधी को कुछ राहत देने वाला है जिसने या तो एक जघन्य अपराध किया है या कम से कम एक अपराध है जो बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित कर रहा है।इसलिए, जब संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत समान प्रकार की बड़ी संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग के दौरान इस न्यायालय द्वारा बहुत सावधानी और सावधानी के साथ प्रयोग करने की राय दी गई है, तो एक क़ानून के तहत प्रयोग करने योग्य, अर्थात् धारा 432 (1) सीआरपीसी के तहत, जो डिग्री में कम है, उसे उसी धारा में निहित सहायक प्रावधान के अनुरूप प्रयोग करने योग्य माना जाना चाहिए।उस संबंध में देखते हुए, हम पाते हैं कि जब भी छूट के लिए कोई आवेदन किया जाता है तो प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 (2) के तहत प्रदान की गई सुरक्षा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 (1) के तहत अंतिम शक्ति का प्रयोग करने के लिए अनिवार्य होनी चाहिए।

बी.

सी.

डी.

149. धारा **432 (2)** के तहत निर्धारित उक्त प्रक्रिया का पालन करने से**,** उपयुक्त सरकार की कार्रवाई बनी रहेगी और न्यायिक मंच सहित सभी संबंधितों की जांच के दायरे में आएगी।

यह याद रखना चाहिए कि हत्या, अपहरण, बलात्कार, डकैती, डकैती आदि जैसे जघन्य अपराधों से जुड़े मामलों को छोड़कर, निचली विचारण न्यायालय के फैसले पर हमेशा उच्च न्यायालय और कई मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाता है।इस प्रकार, संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा दी जाने वाली राय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए किए गए अपराध की प्रकृति, स्वयं दोषी के रिकॉर्ड, उसकी पृष्ठभूमि और अन्य प्रासंगिक कारकों पर बहुत प्रकाश डाला जाएगा जो उपयुक्त सरकार को सही निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा कि सजा का निलंबन या माफी दी जानी चाहिए या नहीं।इसे भी ध्यान में रखना चाहिए।

ई.

एफ.

जी.

जहां अनुच्छेद 72 और 161 के तहत संवैधानिक शक्ति के प्रयोग के लिए, कार्यकारी प्रमुख को मंत्रिपरिषद के कार्य और सलाह का लाभ मिलेगा, वहीं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 (1) के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए, उपयुक्त सरकार को ए मिलेगा।

एच.

1123

राम चंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

न्यायिक मंच की मूल्यवान राय, जो निश्चित रूप से निलंबन या छूट देने से संबंधित मुद्दे पर बहुत अधिक प्रकाश डालेगी।150. इसलिए, यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि धारा 432 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग हमेशा धारा 432 (2) के तहत प्रदान किए गए संबंधित व्यक्ति के आवेदन पर आधारित होना चाहिए और धारा 432 (2) के तहत निर्धारित प्रक्रिया का विधिवत पालन करना चाहिए।इसलिए हम इसके द्वारा की गई कानून की घोषणा को पूरी तरह से मंजूरी देते हैं।

बी.

संगीत न्यायालय [संगीत बनाम हरियाणा राज्य, (2013) 2 एस. सी. सी.

452 :(2013) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 611] पैरा 61 में कहा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 (1) के तहत उपयुक्त सरकार की शक्ति इस सरल कारण से स्वतः संज्ञान नहीं ले सकती है कि यह धारा केवल एक सक्षम प्रावधान है।हम यह भी मानते हैं कि

सी.

धारा **432 (2)** के तहत अनुमति देने की प्रक्रिया अनिवार्य है।जिस तरीके से पीठासीन अधिकारी द्वारा राय दी जानी है**,** उसे हमेशा संबंधित उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विनियमित और निपटाया जा सकता है**,** जब भी उपयुक्त सरकार द्वारा ऐसा कोई आवेदन भेजा जाता है तो आवश्यक प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है।इसलिए हम उक्त प्रश्न का उत्तर इस आशय से देते हैं कि धारा **432 (1)** के तहत स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है**,** कि यह केवल धारा **432 (2)** के तहत प्रदान किए गए दोषी व्यक्तियों के आवेदन के आधार पर शुरू किया जा सकता है और निलंबन या माफी का अंतिम आदेश संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा दी जाने वाली राय से निर्देशित होना चाहिए।**”**

डी.

ई.

(जोर दिया गया**)**

18. ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालयों के बीच इस बात पर मतभेद है कि क्या पीठासीन न्यायाधीश की राय सरकार के लिए बाध्यकारी है।बॉम्बे 18 में उच्च न्यायालय ने माना है कि पीठासीन न्यायाधीश की राय बाध्यकारी है।उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए श्रीहरण (ऊपर) पर निर्भरता रखी है:29. भारत संघ बनाम के मामले में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ। वी. श्रीहरण @मुरुगन और अन्य (उपरोक्त) ने Cr.P.C की धारा 432 (2) के प्रावधानों से संबंधित रेफरल प्रश्नों का उत्तर दिया है और कहा है कि निलंबन या छूट के अंतिम आदेश को सरकार द्वारा दी गई राय से निर्देशित किया जाना चाहिए।

एफ.

जी.

18 योवेल बनाम बॉम्बे राज्य, सी. आर. एल. 2019 की लिखित याचिका संख्या 273

एच.

संबंधित न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश और Cr.P.C की धारा 432 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग Cr.P.C की धारा 432 (2) के तहत गणना की गई प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए, हमारे दिमाग में, न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश की राय मांगना या जिसके द्वारा दोषसिद्धि की गई थी या पुष्टि की गई थी कि क्या Cr.P.C की धारा

432 (1) के तहत दायर आवेदन को एक खाली औपचारिकता के रूप में स्वीकार या अस्वीकार किया जाना चाहिए, न कि एक खाली औपचारिकता के रूप में।यह सच है कि यदि हम Cr.P.C की धारा 432 (2) को पढ़ते हैं तो "हो सकता है" शब्द का उपयोग किया जाता है।यदि हम न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश की राय लेने की उक्त कवायद को केवल प्रासंगिक परिस्थिति मानते हैं, तो उक्त प्रावधान का उद्देश्य विफल हो जाएगा।यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि क़ानून के प्रावधानों का अर्थ निकालने में, न्यायालय को उस निर्माण को अपनाने में देरी करनी चाहिए जो क़ानून के किसी भी हिस्से को अर्थहीन या अप्रभावी बनाता है। यदि हम समग्र रूप से Cr.P.C की धारा 432 की उप-धारा (2) को पढ़ते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश की राय लेने की आवश्यकता है कि क्या Cr.P.C की धारा 432 (1) के संदर्भ में दायर आवेदन को मंजूरी दी जानी चाहिए या अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।Cr.P.C की धारा 432 की उप-धारा (2) की भाषा में, न्यायालय के ऐसे पीठासीन न्यायाधीश पर यह भी बाध्यकारी है कि वह ऐसी राय के लिए अपने कारणों के साथ अपनी राय बताए।

बी.

सी.

डी.

...

ई.

30. .....इस कारण से, हमारी सुविचारित राय में, न्यायालय का पीठासीन न्यायाधीश सर्वोत्तम रूप से सुसज्जित है और उद्देश्य को प्राप्त करने और कार्य को संतोषजनक रूप से करने के लिए अपने विचार में अधिक सही होने की संभावना है।वह इस क्षेत्र में एक विशेषज्ञ है और इसलिए उसकी राय को अधिक महत्व देने की आवश्यकता है।न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश की राय को बिना किसी बाध्यकारी प्रभाव के एक प्रासंगिक परिस्थिति के रूप में मानते हुए, कठोर अपराधी, जिसने अत्यधिक क्रूरता आदि के साथ अपराध किया है, को माफी देना एक भ्रम होगा।हमें डर है कि यदि रेफरल प्रश्न संख्या (iii) के उत्तर को "प्रासंगिक परिस्थितियों" के रूप में दर्ज किया जाता है, तो अधिकारियों के लिए इसे "अप्रासंगिक परिस्थितियों" के रूप में मानने और बेईमान कैदियों को छूट का लाभ देने के लिए बाढ़ के द्वार खुल जाएंगे।"

एफ.

जी.

19. दूसरी ओर, पटना 19 के उच्च न्यायालय ने माना है कि पीठासीन न्यायाधीश की राय बाध्यकारी नहीं है, बल्कि केवल एक मार्गदर्शक कारक है।उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य सजा माफी बोर्ड ए

एच.

1125

राम चंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

इसमें उच्च-स्तरीय अधिकारी शामिल होते हैं जो अपने स्वतंत्र ज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं और पीठासीन न्यायाधीश की राय से बाध्य नहीं होते हैं।उच्च न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया:

"7. अब हम बोर्ड के कार्य पर आ सकते हैं।ऊपर जो उल्लेख किया गया है, उससे यह प्रतीत होता है कि बोर्ड न्यायिक अधिकारी की राय से बंधा हुआ महसूस करता है, चाहे वह कितना भी अप्रासंगिक क्यों न हो।क्या बोर्ड का यह रुख सही है?हमारे विचार से ऐसा नहीं है।बोर्ड में बहुत उच्च स्तर के अधिकारी होते हैं।इसमें कानून सचिव, गृह सचिव, जेल महानिरीक्षक, जिला और सत्र न्यायाधीश, पटना सहित अन्य अधिकारी शामिल हैं।यह एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जिसे कानून के अनुसार अपने स्वतंत्र ज्ञान का प्रयोग करना होता है।यह किसी अन्य व्यक्ति की राय से बंधा नहीं है।जेल अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, परिवीक्षाधीन अधिकारी, परीक्षण न्यायाधीश की राय बोर्ड को एक स्वतंत्र राय पर आने में सक्षम बनाने के लिए मार्गदर्शक कारक हैं।यह किसी एक या सभी विचारों में कही गई बातों से बंधा नहीं है।हम इसे स्पष्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि बोर्ड का गठन वरिष्ठ जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा किया गया है, वे एक जघन्य अपराध के दोषी और जिसने सजा पूरी कर ली है, उसके संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 में अधिनियमित विधायी नीति को ध्यान में रखते हुए शक्ति का प्रयोग करेंगे। केवल ऐसे व्यक्ति को ही रिहा करने के लिए विचार किया जाना चाहिए।इस धारा का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों की निंदा करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि उनकी सजा की एक महत्वपूर्ण अवधि बिताने के बाद, उन्हें समाज में वापस आने की अनुमति दी जाए।यह तभी होता है जब उनके भविष्य के आचरण के बारे में गंभीर आशंका होती है, उनकी रिहाई पर उनके भविष्य के आचरण के बारे में गंभीर और अपरिहार्य आशंका होती है, जो कि रिकॉर्ड से पैदा हुई प्रामाणिक है कि बोर्ड दोषी को रिहा करने से इनकार करने में वैध रूप से उचित होगा अन्यथा यह अधिकारियों की राय से बाध्य नहीं है, हालांकि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वे मार्गदर्शक कारक हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए।"

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

20. श्रीहरण (ऊपर) में, न्यायालय ने कहा कि पीठासीन न्यायाधीश की राय अपराध की प्रकृति, दोषी के रिकॉर्ड, उनकी पृष्ठभूमि और अन्य प्रासंगिक कारकों पर प्रकाश डालती है। महत्वपूर्ण रूप से, न्यायालय ने कहा कि पीठासीन न्यायाधीश की राय सरकार को यह 'सही' निर्णय लेने में सक्षम बनाएगी कि सजा को माफ किया जाना चाहिए या नहीं।इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि पीठासीन न्यायाधीश की राय केवल एक प्रासंगिक कारक है, जो

जी.

19 रवि प्रताप मिश्रा बनाम बिहार राज्य, क्र. सं. 2017 का लिखित क्षेत्राधिकार मामला संख्या 272

एच.

छूट के लिए आवेदन पर कोई निर्धारिक प्रभाव नहीं पड़ता है।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 (2) के तहत प्रक्रियात्मक सुरक्षा का उद्देश्य विफल हो जाएगा यदि पीठासीन न्यायाधीश की राय केवल एक अन्य कारक बन जाती है जिसे सरकार द्वारा छूट के लिए आवेदन पर निर्णय लेते समय ध्यान में रखा जा सकता है।तब यह संभव है कि धारा 432 (2) के तहत प्रक्रिया केवल एक औपचारिकता बन जाएगी।21. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि उपयुक्त सरकार को यांत्रिक रूप से पीठासीन न्यायाधीश की राय का पालन करना चाहिए।यदि पीठासीन न्यायाधीश की राय धारा 432 (2) की आवश्यकताओं का पालन नहीं करती है या यदि न्यायाधीश लक्ष्मण नस्कर बनाम भारत संघ (उपर्युक्त) में निर्धारित छूट देने के लिए प्रासंगिक कारकों पर विचार नहीं करता है, तो सरकार पीठासीन न्यायाधीश से मामले पर नए सिरे से विचार करने का अनुरोध कर सकती है।

बी.

सी.

22. वर्तमान मामले में, यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि पीठासीन न्यायाधीश ने लक्ष्मण नस्कर बनाम भारत संघ (उपर्युक्त) में निर्धारित कारकों को ध्यान में रखा है।इन कारकों में यह आकलन करना शामिल है कि (i) अपराध बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित करता है या नहीं; (ii) अपराध की पुनरावृत्ति की संभावना; (iii) भविष्य में अपराध करने के लिए दोषी की

क्षमता; (iv) यदि दोषी को जेल में रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा हो रहा है; और (v) दोषी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति।

डी.

परिवार।लक्ष्मण नस्कर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (ऊपर) और राज्य

हरियाणा बनाम जगदीश 20 के इस न्यायालय ने दोहराया है कि पूर्व-परिपक्व रिहाई के लिए एक दोषी के आवेदन पर निर्णय लेते समय इन कारकों पर विचार किया जाएगा।

ई.

23. 21 जुलाई 2021 को अपनी राय में विशेष न्यायाधीश, दुर्ग ने उस अपराध का उल्लेख किया जिसके लिए याची को दोषी ठहराया गया था और केवल यह कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए माफी देना उचित नहीं होगा।राय सी. आर. पी. सी. की धारा 432 (2) के प्रावधानों के अनुसार है जिसके लिए आवश्यक है कि पीठासीन न्यायाधीश की राय कारणों के साथ होनी चाहिए।हैल्सबरीज लॉज ऑफ इंडिया (एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ) में कहा गया है कि यदि संबंधित प्राधिकारी ने प्रासंगिक कारण प्रदान किए हैं तो कारण देने की आवश्यकता पूरी हो जाती है।यांत्रिक कारणों को पर्याप्त नहीं माना जाता है।निम्नलिखित उद्धरण हमारे विचार के लिए उपयोगी हैः

एफ.

जी.

" [005.066] कारणों की पर्याप्तता कारणों की पर्याप्तता में

विशेष मामला, प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है।यह नहीं है।

एच.

20 (2010) 4 एससीसी 216 ए

1127

राम चंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

प्राधिकरण के लिए एक निर्णय लिखना आवश्यक है जैसा कि कानून की न्यायालय करती है। हालांकि, कम से कम, तर्क की प्रक्रिया की एक रूपरेखा दी जानी चाहिए।यदि आदेश के लिए प्रासंगिक कारण दिए गए हैं तो यह कारण देने की आवश्यकता को पूरा कर सकता है, हालांकि प्राधिकरण ने सभी कारणों को निर्धारित नहीं किया है या कुछ कारणों पर जो न्यायालय के समक्ष तर्क दिए गए थे, प्राधिकरण द्वारा स्पष्ट रूप से विचार नहीं किया गया है।आदेश में वैधानिक भाषा की केवल पुनरावृत्ति आदेश को तर्कपूर्ण नहीं बनाएगी।

बी.

यांत्रिक और रूढ़िवादी कारणों को पर्याप्त नहीं माना जाता है।बोलने का आदेश वह होता है जो आदेश पारित करने वाले न्यायनिर्णायक निकाय के दिमाग की बात करता है।'वर्ष 1982 की पूरी परीक्षा रद्द कर दी गई' जैसे कारण को पर्याप्त नहीं माना जा सकता है क्योंकि बयान में बताया गया है कि परीक्षा क्यों रद्द की गई है; यह केवल कारण बताए बिना सजा का उल्लेख करता है।" 21

सी.

24. इस प्रकार, अपर्याप्त तर्क के साथ एक राय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 (2) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगी। इसके अलावा, यह उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा जिसके लिए धारा 432 (2) के तहत अभ्यास किया जाना है, जो कार्यपालिका को सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए एक सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।

डी.

25. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारा मानना है कि याचिकाकर्ता के माफी के आवेदन पर फिर से विचार किया जाना चाहिए।हम विशेष न्यायाधीश, दुर्ग को निर्देश देते हैं कि वे आवेदन पर नए सिरे से पर्याप्त तर्क के साथ एक राय प्रदान करें जो लक्ष्मण नस्कर बनाम भारत संघ (उपरोक्त) में निर्धारित माफी के अनुदान को नियंत्रित करने वाले सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखता है।विशेष न्यायाधीश, दुर्ग को इस आदेश की प्राप्ति की तारीख के एक महीने के भीतर अपनी राय देनी चाहिए।हम छत्तीसगढ़ राज्य को विशेष न्यायाधीश, दुर्ग की राय प्राप्त करने के एक महीने के भीतर नए सिरे से माफी के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर अंतिम निर्णय लेने का निर्देश देते हैं।

ई.

एफ.

26. संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका की अनुमति उपरोक्त शर्तों में दी गई है।

27. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

जी.

निधि जैन

लिखित याचिका की अनुमति दी गई।

(सहायकः तमन्ना, एलसीआरए)

एच.

21 हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंडिया (एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ) (लेक्सिस नेक्सिस, ऑनलाइन संस्करण)।